

 सत्यमेव जयते	केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्तालय, गांधीनगर OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & CENTRAL EXCISE GANDHINAGAR सीमा शुल्क भवन, आकाशवाणी के पास, नवरंगपुरा, CUSTOM HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, अहमदाबाद AHMEDABAD-380009 दूरभाष Ph. 079-27542608, फ़ैक्स Fax:079-27545021	
---	--	---

स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड ए डी द्वारा BY SPEED POST / REGD. A.D.

क A	फाईल संख्या File Number	GEXCOM/RTI/APP/444/2021-TECH
ख B	मूल आदेश संख्या Order in Original No..	13/ RTI/2021-22
ग C	पारित करने वाला passed by	श्री बिपिन कुमार शर्मा/ Shri Bippan Kumar Sharma, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, Central Public Information Officer (सू-अधि RTI), केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गांधीनगर Central GST & Central Excise(H.Q) Gandhinagar
घ D.	आदेश / जारी करने का दिनांक Date of Order/Issue	24.08.2021
ड E	आवेदक का नाम व पता Name & Address of the applicant	श्री आशुतोष गुप्ता, फ्लैट नंबर बी6, कृषि विहार, जेबी टीटो मार्ग, पिन: 110 048 Shri Ashutosh Gupta, Flat No. B6, Krishi Vihar, JB Tito Marg, Pin: 110 048

यह मूल आदेश की प्रति संबंधित को निःशुल्क प्रदान की जाती है ।

This Order-in-Original is granted to the concerned free of charge.

यदि कोई व्यक्ति इस मूल आदेश से स्वयं को असंतुष्ट अनुभव करता है तो वह इस आदेश के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत श्री मारुत त्रिपाठी, संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु, सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क गांधीनगर आयुक्तालय, 2 री मंजिल, सीमा शुल्क भवन, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 को अपील दाखिल कर सकता है ।



Kar-Mitra
@ **9157702006**



Chat with us
@**Live Seva Kendra** on
www.cgstgandhinagar.gov.in

Any person aggrieved by this Order-in-Original may file an appeal under section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 to: Shri Marut Thripathi, Addl. Commissioner, Central GST & Central Excise, Gandhinagar, 2nd floor, 'Custom House', Navrangpura, Ahmedabad – 380009.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के उपबंधों के अनुसरण में इस आदेश की प्राप्ति की दिनांक से 30(तीस) दिनों के भीतर अपीलिय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

Appeal shall be filed within 30 (thirty) days from the date of receipt of this order in accordance with the provisions of section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, before the Appellate Authority.

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) के अंतर्गत आदेश
ORDER UNDER SECTION 7(1) OF THE RIGHT TO INFORMATION
ACT, 2005**

श्री आशुतोष गुप्ता, फ्लैट नंबर बी6, कृषि विहार, जेबी टीटो मार्ग, पिन: 110048 द्वारा अपना आरटीआई आवेदन ऑनलाइन किया था जिसका पंजीकरण संख्या CCEAB/R/E/21/00034 dated दिनांक 04.07.2021 है। यह आवेदन पत्र मुख्य आयुक्त का कार्यालय, सीजीएसटी भवन, आंबावाड़ी, अहमदाबाद क्षेत्र के पत्र फा.स. GCCO/RTI/APP/476/2021-TECH दिनांक 06.07.2021 को सहायक आयुक्त (सीपीआईओ), केंद्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, गांधीनगर कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई), 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रेषित किया गया।

Shri Ashutosh Gupta, Flat No. B6, Krishi Vihar, JB Tito Marg, Pin: 110 048 has filed online application registration No. CCEAB/R/E/21/00034 dated 04.07.2021. The said application was transferred vide their letter जीसीसीओ/आरटीआई/APP/476/2021 dated 06.07.2021 from the office of the Principal Chief Commissioner of GST and C.Ex Ahmedabad Zone, GST Bhavan Revenue Marg, Ambawadi, Ahmedabad-380015 to the office of the Central GST & Central Excise, Gandhinagar as per the provision of Section 6(3) of the RTI Act-2005.

इस बारे में, मुख्यालय से संबंधित अपेक्षित सूचना नीचे बताए अनुसार है। In this regards, the required information pertaining to H.Q. office is as under:-



Kar-Mitra
@ [9157702006](https://www.9157702006.com)



Chat with us
@[Live Seva Kendra](https://www.cgstgandhinagar.gov.in) on
www.cgstgandhinagar.gov.in

बिन्दु 1 से बिन्दु 7 : मांगी गयी जानकारी प्रमुख मुख्य आयुक्त कार्यालय, अहमदाबाद क्षेत्र से संबन्धित है।

बिन्दु 8:- मांगी गई जानकारी सूचना का अधि!कार अधि!नियम 2005 की धारा 2(f) के अंतर्गत नहीं आती।

बिन्दु 9:- इस आयुक्तालय के अधिकारियों ने कोविशिल्द रसिकरण का पहला डोज नगरी हॉस्पिटल में दिनांक 25-03-2021 को लिया था जो की सीमा शुल्क अहमदाबाद जोन द्वारा आयोजित किया गया था। इस आयुक्तालय द्वारा कोविड रसिकरण के लिए कोई कैंप आयोजित नहीं किया है।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,
Central Public Information Officer,
केवसेक व केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गांधीनगर
CGST & Central Excise,
Gandhinagar

सेवा में/To

श्री आशुतोष गुप्ता,
फ्लैट नंबर बी-6, कृषि विहार,
जेबी टीटो मार्ग, पिन: 110048

प्रतिलिपि:-

1.उप आयुक्त(केन्द्रीय लोक सूचना का अधिकार)
प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालयके पत्राक फ़ासं.GCCO/RTI/APP/476/2021
दि.06.07.2021 के सन्धर्भ में

2.सहायक आयुक्त, (प्रणाली अनुभाग) केंद्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, गांधीनगर
कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड करने के हेतु



Kar-Mitra
@ [9157702006](https://www.karmitra.gov.in)



Chat with us
@[Live Seva Kendra](https://www.cgstgandhinagar.gov.in) on
www.cgstgandhinagar.gov.in